

बिहार राज्य सहयोग क्रय-विक्रय संघ सीमित (बिस्कोमान)

बिहार एवं झारखण्ड
 छठा तल, बिस्कोमान टॉवर, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना-800001

Ref. No. ⁹⁹ 485/225/एम-1081

Date:- 27-11-2024

प्रेषक,

प्रबंध निदेशक,
 बिस्कोमान (बिहार-झारखण्ड)।

सेवा में,

सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी,
 बिहार।
 सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं
 सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, खूँटी अंचल, खूँटी,
 हजारीबाग अंचल, हजारीबाग एवं रामगढ़, झारखण्ड।
 -सह-
 निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचन प्रभारी, बिस्कोमान।

विषय:-बिहार राज्य सहयोग क्रय विक्रय संघ सीमित(बिस्कोमान) बिहार एवं झारखण्ड के निदेशक मंडल के निर्वाचन के निमित्त विशेष आम सभा एवं सामान्य निकाय के लिए जिलास्तरीय प्रतिनिधियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-(i) सहकारी निर्वाचन प्राधिकार, सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक CEA-12011/25/2024 दिनांक 20.09.2024

(ii) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का पत्रांक 7905 दिनांक 16.10.2024

(iii) निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 2221(6) दिनांक 22.11.2024

महाशय,

बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लि० (बिस्कोमान) बिहार-झारखण्ड के निदेशक पक्ष का निर्वाचन/गठन हेतु सामान्य निकाय की विशेष आम सभा के पूर्व बहुराज्य सहकारिता अधिनियम, 2002 (यथा संशोधित 2023) की धारा 38 (i) एवं बिस्कोमान उपविधि 20 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में जिलास्तरीय प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाना है।

- निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के प्रासंगिक पत्र द्वारा जिलास्तरीय निर्वाचन हेतु जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचन प्रभारी नियुक्त किया गया है (प्रतिलिपि संलग्न)।
- निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 2221(6) राँची दिनांक 22.11.2024 के द्वारा खूँटी जिले एवं रामगढ़ जिले के लिए क्रमशः सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, खूँटी, अंचल, खूँटी एवं सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, हजारीबाग को तथा झारखण्ड राज्य के शेष जिलों में

सम्बन्धित सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न)।

4. बिहार राज्य से वर्ग-'A' एवं झारखण्ड राज्य से वर्ग-'A' एवं वर्ग-'B' के योग्य एवं प्राप्त प्रतिनिधियों की सूची संलग्न कर भेजी जा रही है। ये प्रतिनिधि ही मतदाता एवं उम्मीदवार होंगे।
5. बिहार राज्य में वर्ग-'B' से बिस्कोमान से सम्बद्ध योग्य समितियों से प्राप्त प्रतिनिधियों (पैक्सों सहित) की सूची भेजी जा रही है। परंतु बिहार राज्य में दिनांक 25.11.2024 से दिनांक 03.12.2024 तक पैक्सों में निर्वाचन होना है। इस परिपेक्ष्य में प्रतिनिधि के नाम में परिवर्तन होना सम्भावित है। अतः पैक्स के नवगठित कार्यकारिणी समिति के द्वारा नवीन प्रस्ताव विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जायेगा। परंतु वैसे पैक्स जहाँ वर्तमान में चुनाव नहीं हो रहा है और कार्यकारिणी की कार्य अवधि शेष है, वैसी स्थिति में संलग्न सूची के अनुसार अंकित (पैक्स) प्रतिनिधि मतदान/उम्मीदवार हेतु योग्य माने जाएंगे। पैक्स के अतिरिक्त वर्ग-'B' में अन्य समितियों से प्रतिनिधि सूची अनुसार योग्य माने जायेंगे। उक्त के आधार पर जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा पैक्स के नवीन प्रतिनिधि के साथ वर्ग-'B' की सूची जिलावार तैयार करायी जायेगी। ये प्रतिनिधि ही मतदाता एवं उम्मीदवार बनने के योग्य होंगे। इस सम्बन्ध में जिला सहकारिता पदाधिकारी को इस कार्यालय के पत्रांक 903 दिनांक 30.10.2024 तथा सभी पैक्सों को इस कार्यालय के पत्रांक 998 दिनांक 19.11.2024 द्वारा सूचित किया जा चुका है तथा विहित प्रपत्र भी उपलब्ध करा दिया गया है (सहज अवलोकन हेतु प्रेषित इन पत्रों की प्रतियाँ पुनः संलग्न हैं)।
6. बिस्कोमान से सम्बद्ध सहकारी समितियों से प्राप्त योग्य प्रतिनिधियों के बीच से जिलास्तरीय डेलिगेटस (प्रतिनिधि) का निर्वाचन उप-विधि 20 (iii) एवं (iv) के प्रावधानों के अर्न्तगत श्रेणीवार (वर्गवार) निम्न रूप से किया जाएगा:-
 - i. वर्ग 'B' की सम्बद्ध समितियों से प्रत्येक जिले के लिए एक (01) प्रतिनिधि का निर्वाचन होगा।
 - ii. जिले की वर्ग 'A' की कुल योग्य समितियों के बीच से तीन समितियों पर एक (01) प्रतिनिधि एवं उसके अंश पर एक अधिकतम सात (07) प्रतिनिधियों का निर्वाचन होगा।
 - iii. यदि वर्ग 'A' के प्रतिनिधियों में SC/ST के प्रतिनिधि उपलब्ध हो तो न्यूनतम एक पद का निर्वाचन SC/ST वर्ग से होगा। आरक्षण का दावा हेतु जाति प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।
 - iv. यदि वर्ग 'A' से 100 शेयर या उससे अधिक अर्थात् एक लाख रूपए या उससे अधिक का शेयर समिति द्वारा धारित किया जाता है तथा समिति का कार्य क्षेत्र जिला/प्रमण्डल अथवा राज्य है तो इसके प्रतिनिधि सामान्य निकाय/विशेष आम-सभा के लिए सीधे ही निर्वाचित घोषित किये जायेंगे। ऐसे प्रतिनिधि भी विहित प्रपत्र में नामांकन करेंगे परंतु इनके लिए किसी प्रस्तावक या समर्थक की आवश्यकता नहीं होगी। इनकी गणना उपरोक्त कंडिका-ii की संख्या के अतिरिक्त होगी। स्पष्ट हो कि 100 शेयर या 100 से अधिक शेयर धारक को जिला स्तर पर निर्वाचन हेतु वर्ग 'A' के प्रतिनिधि निर्वाचन में मतदान का अधिकार होगा।

- v. उम्मीदवार बनने के इच्छुक प्रतिनिधियों को नामांकन पत्र –सह– घोषणा–पत्र एवं शपथ–पत्र जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार उपलब्ध करा दिया जाएगा।
- vi. जिला स्तरीय प्राप्त योग्य प्रतिनिधियों की सूची से इतर कोई भी अन्य सदस्य/प्रतिनिधि नामांकन एवं मतदान करने के योग्य नहीं होंगे (योग्य प्रतिनिधियों की सूची संलग्न है)।
- vii. जिला स्तरीय प्रतिनिधि के पद पर नामांकन करने वाले प्रतिनिधि के लिए उसी वर्ग का प्रस्तावक एवं समर्थक रहना आवश्यक होगा।
- viii. यदि एक ही व्यक्ति वर्ग 'A' एवं वर्ग 'B' की समितियों से प्रतिनिधि बनकर आये हैं तो वे दोनों वर्ग में मतदान करने योग्य होंगे। परंतु वे किसी एक वर्ग से ही निर्वाचित होने के योग्य होंगे।
- ix. जिस जिले में तीन या तीन से कम अभ्यर्थी/प्रतिनिधि होंगे वहाँ प्रस्तावक एवं समर्थक की आवश्यकता नहीं होगी।
- x. अगर किसी जिले में मात्र 02 (दो) योग्य प्रतिनिधि हों तथा दोनों प्रतिनिधियों द्वारा नामांकन किया जाता है तो वैसी स्थिति में टॉस (सिक्का उछाल) कर जीत–हार का निर्णय लिया जायगा। साथ ही यदि किसी उम्मीदवार को बराबर–बराबर मत प्राप्त होते हैं तो इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्वाचित घोषित किया जाएगा।
- xi. यदि जिले में अधिकतम निर्धारित संख्या से कम नामांकन प्राप्त होता है तो सभी प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये जायेंगे, जिसकी घोषणा निर्धारित तिथि को ही की जाएगी।
- xii. जिला स्तरीय प्रतिनिधि के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जिला सहकारिता पदाधिकारी/सहायक निबंधक –सह– निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचन प्रभारी के समक्ष विहित प्रपत्र में निर्धारित तिथि एवं समय पर नामांकन दाखिल करना होगा।
- xiii. नामांकन–पत्र के साथ घोषणा–पत्र एवं स्थानीय नोटरी (Notary) द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र तथा आधार कार्ड संलग्न करना आवश्यक होगा।
- xiv. जिला सहकारिता पदाधिकारी/सहायक निबंधक –सह– निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचन प्रभारी अभ्यर्थियों के प्राप्त नामांकन पर यदि कोई आपत्ति प्राप्त हो तो इसका विधिवत निष्पादन कर वैध नामांकन का प्रदर्शन सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेंगे। नामांकन पत्र दाखिल की प्रक्रिया में कोई लेखनी त्रुटि, छोटी–मोटी त्रुटि हो तथा यह सुधार विधिवत अनुमान्य रहने पर आवश्यक सुधार का अवसर दिया जायेगा।
- xv. अभ्यर्थी यदि अपना नामांकन वापस लेना चाहेंगे तो विहित प्रपत्र में निर्धारित तिथि एवं समय पर अपना नामांकन वापस ले सकेंगे।
- xvi. नामांकन वापसी के पश्चात् अभ्यर्थियों का अंतिम नामांकन सूची का प्रदर्शन सूचना पट्ट पर किया जाएगा।

- xvii. जिले में निर्धारित संख्या से अधिक नामांकन प्राप्त होता है तो वहाँ मतदान होगा। मतदान-पत्र (Ballot Paper) का निर्धारित प्रपत्र (छायाप्रति संलग्न) कर भेजा जा रहा है। मतदान-पत्र (Ballot Paper) टंकित अथवा मुद्रित अथवा साईक्लो स्टाईल किया हो सकता है।
- xviii. सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सहायक निबंधक –सह– निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचन प्रभारी मतपत्र (Ballot Paper) के नमूने पर मतदान करने के लिए अभ्यर्थियों के नाम के समक्ष क्रॉस (X) का चिन्ह बनाकर मतदान सुनिश्चित कराने हेतु मतदाताओं को कृपया अवगत करा देंगे।
- xix. मतदान समाप्ति के पश्चात निर्धारित समय पर मतगणना की जाएगी। मतगणना की प्रक्रिया को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मानलिया जाय कि बक्सर जिले में वर्ग-‘A’ में कुल 8 प्रतिनिधि हैं। प्रावधान के अनुसार 3 प्रतिनिधियों का निर्वाचन होना है। तीन से कम नामांकन होने पर सभी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये जाएंगे।

परन्तु, मानलिया कि 4 प्रतिनिधियों ने नामांकन कर दिया है तो मतदान-पत्र (Ballot Paper) पर चारों उम्मीदवारों (प्रतिनिधियों) का नाम होगा। मतदाता कुल आठ है। प्रत्येक मतदाता अधिकतम 3(तीन) उम्मीदवारों के नाम के समक्ष क्रॉस (X) लगाकर वोट देंगे। तीन से अधिक नाम पर क्रॉस (X) लगाने पर मतपत्र रद्द कर दिया जाएगा। गणना तालिका निम्न प्रकार होगा:-

उम्मीदवार का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	कुल प्राप्त मत
	मतदाता								
	मतदान								
राम	X			X	X	X	X		5
लक्ष्मण	X	X	X	X		X	X	X	7
भरत	X	X	X	X	X		X	X	7
शत्रुघ्न		X	X		X				3

इस प्रकार उपर के तीन उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किये जायेंगे।

- xx. निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन प्रमाण-पत्र की एक प्रति निर्वाचित प्रतिनिधि को दी जाएगी तथा दूसरी प्रति एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों की समेकित सूची विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराये गये लिफाफे में बन्द/सील कर बिस्कोमान मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
- xxi. निर्वाचन प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त चुनाव कार्य में प्रयुक्त अन्य सभी कागजात को उपलब्ध कराये गये अन्य लिफाफे में बन्द कर मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायगी।
- xxii. निर्वाचन कार्य में आकस्मिक व्यय मद में ₹5,000/- (पाँच हजार) रुपए उपलब्ध करायी जा रही है।

अतः उपरोक्त निर्गत अनुदेशों/निदेशों के आलोक में जिला स्तरीय प्रतिनिधि का निर्वाचन सम्पन्न कराने की कृपा करेंगे।

अनुलग्नक:-

1. जिले के योग्य प्रतिनिधियों (मतदाताओं) की सूची
2. जिले में अधिकतम निर्वाचन योग्य प्रतिनिधियों की संख्या की सूची
3. निर्वाचन कार्यक्रम
4. नामांकन पत्र -सह- घोषण-पत्र का प्रारूप
5. शपथ-पत्र का प्रारूप
6. नाम वापसी का प्रारूप
7. बैलेट पेपर का प्रारूप
8. निर्वाचन प्रमाण-पत्र का प्रारूप
9. निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार पटना के पत्रांक 7905 दिनांक 16.10.2024
10. निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 2221(6) दिनांक 22.11.2024
11. इस कार्यालय पत्रांक 903 दिनांक 30.10.2024
12. इस कार्यालय के पत्रांक 998 दिनांक 19.11.2024
13. अधिनियम की धारा-38 एवं बिस्कोमान उपविधि-20 की प्रति
14. बिस्कोमान(बिहार एवं झारखण्ड) के जिला स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का समेकित परिणाम प्रपत्र।

विश्वासभाजन,

ह./-
प्रबन्ध निदेशक।

ज्ञापांक:- 9985/225/एम-1031 पटना /दिनांक 27-11-2024

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, पटना -सह- निर्वाची पदाधिकारी, बिस्कोमान को सूचनार्थ इस अनुरोध के साथ उपलब्ध करायी जाती है कि कृपया वे अपने स्तर से भी जिला सहकारिता पदाधिकारियों/सहायक निबंधकों को निदेशित करने की कृपा करेंगे।

ह./-
प्रबन्ध निदेशक।

ज्ञापांक:- 9985/225/एम-1031 पटना /दिनांक 27-11-2024

प्रतिलिपि:- सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी/प्रतिनियुक्त कर्मी, बिस्कोमान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। साथ ही निदेश दिया जाता है कि अपने से सम्बन्धित जिला सहकारिता पदाधिकारी/सहायक निबंधक -सह- निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचन प्रभारी से सम्पर्क में रहेंगे एवं उनके निदेशानुसार सहयोग माँगे जाने पर आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

27-11-24
प्रबन्ध निदेशक।

अनुलग्नक 01

सम्बन्धित जिला का मतदाता सूची वर्ग-‘ए’ एवं वर्ग –‘बी’

अनुसूचक - 02

बिस्कोमान जिलास्तरीय निर्वाचन में भाग लेने हेतु योग्य समिति की संख्या				जिले में अधिकतम निर्वाचन योग्य प्रतिनिधियों की संख्या			
क्रमांक	जिला का नाम	वर्ग 'ए' समिति सं.	वर्ग-'बी' समिति सं.	वर्ग 'ए' समिति सं.	वर्ग-'बी' समिति सं.	वर्ग-'ए' एवं 'बी' समिति सं. का योग	अभियुक्ति
1	पटना	21	7	7	1	8	
2	बक्सर	8	4	3	1	4	
3	भोजपुर	20	34	7	1	8	
4	रोहतास	16	20	6	1	7	
5	कैमूर	17	17	6	1	7	
6	नालन्दा	15	39	5	1	6	
7	गया	15	3	5	1	6	
8	जहानाबाद	4	5	2	1	3	
9	अरवल	3	0	1	0	1	
10	नवादा	8	6	3	1	4	
11	औरंगाबाद	5	6	2	1	3	
12	सारण	31	20	7	1	8	
13	सिवान	15	5	5	1	6	
14	गोपालगंज	16	3	6	1	7	
15	मुजफ्फरपुर	9	8	3	1	4	
16	वैशाली	19	65	7	1	8	
17	सीतामढ़ी	13	6	5	1	6	
18	शिवहर	1	0	1	0	1	
19	पश्चिम चम्पारण	15	27	5	1	6	
20	पूर्वी चम्पारण	14	15	5	1	6	
21	भागलपुर	3	2	1	1	2	
22	बांका	5	6	2	1	3	
23	खगड़िया	4	12	2	1	3	
24	मुंगेर	2	1	1	1	2	
25	शेखपुरा	3	2	1	1	2	
26	लखीसराय	4	17	2	1	3	
27	जमुई	4	4	2	1	3	
28	दरभंगा	9	0	3	0	3	
29	समस्तीपुर	25	5	7	1	8	
30	बेगूसराय	8	4	3	1	4	
31	मधुबनी	15	4	5	1	6	
32	सहरसा	1	1	1	1	2	
33	कटिहार	3	1	1	1	2	
34	सुपौल	7	1	3	1	4	
35	मधेपुरा	7	1	3	1	4	
36	पूणियाँ	5	5	2	1	3	
37	अररिया	5	5	2	1	3	
38	किशनगंज	2	2	1	1	2	
		377	363	133	35	168	

d

(10/11)

MANAGING DIRECTOR
BIHAR STATE CO-OPERATIVE
MARKETING UNION LTD.
PATNA

अनुसूचक - 02

बिस्कोमान जिलास्तरीय निर्वाचन में भाग लेने हेतु योग्य समिति की संख्या				जिले में अधिकतम निर्वाचन योग्य प्रतिनिधियों की संख्या			
क्रमांक	जिला का नाम	वर्ग 'ए' समिति सं.	वर्ग-'बी' समिति सं.	वर्ग 'ए' समिति सं.	वर्ग-'बी' समिति सं.	वर्ग-'ए' एवं 'बी' समिति सं. का योग	अभियुक्ति
1	राँची	42	0	7	0	7	
2	खूँटी	17	0	6	0	6	
3	पलामू	1	6	1	1	2	
4	लातेहार	23	0	7	0	7	
5	रामगढ़	2	1	1	1	2	
6	हजारीबाग	1	1	1	1	2	
7	कोडरमा	0	2	0	1	1	
8	बोकारो	1	2	1	1	2	
9	धनबाद	7	7	3	1	4	
10	चतरा	1	0	1	0	1	
11	देवघर	3	0	1	0	1	
12	गोड्डा	6	0	2	0	2	
13	गढवा	4	1	2	1	3	
14	गिरिडीह	8	0	3	0	3	
15	दुमका	20	0	7	0	7	
16	जामताड़ा	2	0	1	0	1	
17	पूर्वी सिंहभूम	26	0	7	0	7	
18	पश्चिमी सिंहभूम	17	0	6	0	6	
19	सरायकेला	31	0	7	0	7	
20	लोहरदगा	18	0	6	0	6	
21	साहिबगंज	0	0	0	0	0	
22	पाकुड़	8	0	3	0	3	
23	गुमला	22	0	7	0	7	
24	सिमडेगा	4	0	2	0	2	
कुल समितियों का		264	20	82	7	89	

MANAGING DIRECTOR
BIHAR STATE CO-OPERATIVE
MARKET UNION LTD.
PATNA



अनुसूची-03



Phone :- 0612-2219819
Fax :- 0612-2232377
E-mail :- biscomaun@gmail.com
info@biscomaun.co.in

बिहार राज्य सहयोग क्रय-विक्रय संघ सीमित
(बिस्कोमान)

बिहार एवं झारखण्ड

छठा तल, बिस्कोमान टॉवर, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना-800001

Ref. No.

Date:-

सहकारी निर्वाचन प्राधिकार के पत्रांक CEA-12011/25/2024 दिनांक 08.11.2024 के द्वारा संशोधित निर्वाचन कार्यक्रम के आलोक में जिला स्तरीय प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

क्र.स.	कार्यक्रम का विषय	तिथि	समय	स्थान
1.	प्रतिनिधि सूची का प्रदर्शन	10.12.2024	पूर्वाह्न 11:00 बजे	जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय
2.	प्रतिनिधि सूची पर आपत्ति	10.12.2024	12:00 बजे अपराह्न से 02:00 बजे अपराह्न तक	"
3.	प्रतिनिधि सूची पर प्राप्त आपत्तियों की जाँच एवं वैध प्रतिनिधि सूची का प्रकाशन	11.12.2024	पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक	"
4.	प्रतिनिधियों के द्वारा नामांकन	12.12.2024	पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक	"
5.	नामांकन सूची का प्रदर्शन	12.12.2024	अपराह्न 01:10 बजे तक	"
6.	नामांकन सूची पर आपत्ति	12.12.2024	अपराह्न 01:30 बजे तक	"
7.	आपत्तियों की जाँच एवं वैध नामांकन सूची का प्रदर्शन	12.12.2024	अपराह्न 01:35 बजे से 02:00 बजे अपराह्न तक	"
8.	नामांकन वापसी एवं वापसी के पश्चात अंतिम सूची का प्रकाशन	12.12.2024	अपराह्न 02:30 बजे से 3:00 बजे अपराह्न तक	"
9.	निर्वाचन(यदि आवश्यक हो)	13.12.2024	पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक	"
10.	मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा तथा प्रमाण पत्र निर्गत करना	13.12.2024	अपराह्न 02:30 बजे से समाप्त होने तक	"

प्रबंध निदेशक

अनुसूचनांक = 04

बिस्कोमान

(बिहार एवं झारखण्ड)

जिला:-

वर्ग:-

बिस्कोमान की विशेष आम-सभा/सामान्य निकाय के गठन हेतु
उपविधि 20(बीस) के तहत विशेष आम-सभा/निदेशक पर्वद के निर्वाचन हेतु प्रतिनिधियों के निर्वाचन
का नामांकन फार्म

1. उम्मीदवार का नाम व पूरा पता
पिता/पति का नाम

ग्राम+पो.

थाना

जिला

पिन कोड

फोन/मोबाईल नं.

समिति का पूरा नाम

जिसका प्रत्याशी प्रतिनिधित्व कर रहा है।

पदनाम एवं वर्ग

प्रतिनिधि/मतदाता सूची में उम्मीदवार के नाम
की क्रम संख्या

2. प्रस्तावक

i) पूरा नाम

ii) समिति का नाम

iii) पदनाम एवं श्रेणी

iv) प्रतिनिधि/मतदाता सूची में प्रस्तावक के
नाम की क्रम संख्या

v) हस्ताक्षर या अंगूठा निशान

vi) मोबाईल नं.

3. समर्थक

i) पूरा नाम

ii) समिति का नाम

iii) पदनाम एवं श्रेणी

iv) प्रतिनिधि/मतदाता सूची में प्रस्तावक के
नाम की क्रम संख्या

v) हस्ताक्षर या अंगूठा निशान

vi) मोबाईल नं.

उम्मीदवार की घोषणा

घोषणा करता/करती हूँ कि बिस्कोमान की प्रतिनिधि विशेष आम-सभा के जिला स्तरीय प्रतिनिधि के पद का चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं सहकारी मूल्यों को बनाए रखने, सहकारी सिद्धान्तों का अनुसरण करने, बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002(यथा संशोधित-2023) के प्रावधानों, बिस्कोमान उपविधियों मुझ पर यथा लागू का अनुपालन करूँगा/करूँगी।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं सदैव बिस्कोमान के हित में कार्य करूँगा/करूँगी तथा किसी भी तरह से बिस्कोमान के प्रतिस्पर्द्धियों का हिस्सा नहीं बनूँगा/बनूँगी तथा बिस्कोमान प्रतिस्पर्द्धियों को प्रोत्साहित/सहयोग नहीं करूँगा/करूँगी।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं किसी भी ऐसी सहकारी समिति जो बिस्कोमान की प्रतिस्पर्द्धी है अथवा अपने आपको किसी भी तरह से बिस्कोमान का प्रतिस्पर्द्धी घोषित किया है, उस समिति की महासभा/प्रतिनिधि महासभा/बोर्ड/प्रबंध कमिटी/शासी परिषद् अथवा इसके समकक्ष अथवा इसी प्रकार के किसी निकाय का सदस्य नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं सदैव सदस्यों की आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करूँगा/करूँगी तथा सर्वांगीण व्यावसायिक प्रबंधन को सुनिश्चित करूँगा/करूँगी तथा यह भी सुनिश्चित करूँगा/करूँगी कि मेरी समिति जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता/करती हूँ, किसी भी तरह से बिस्कोमान के मामले में विशेष रूप से बिस्कोमान को भुगतान करने के मामले में डिफॉल्टर न हो।

मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं अथवा मेरी समिति जिसका मैं बिस्कोमान में प्रतिनिधित्व करता/करती हूँ यदि डिफॉल्टर हो, अथवा, उपर्युक्त खण्ड अथवा खण्डों में से किसी का उल्लंघन करती है तो मेरी अपनी समिति में प्रतिनिधित्व स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा इस प्रकार मैं प्रतिनिधि ही नहीं रहूँगा/रहूँगी।

प्रत्याशी का पूरा हस्ताक्षर.....

दिनांक-.....

चुनाव अधिकारी का आदेश

- ❖ नामांकन पत्र वैध पाया गया है।
पूरे पते सहित नाम को उम्मीदवार सूची में शामिल करने के आदेश दिये जाते हैं।
- ❖ नामांकन पत्र अवैध पाया गया है। तथा इस रद्द किया जाता है।

चुनाव अधिकारी

दिनांक-.....

- ❖ जो लागू न हो उसे काट दिया जाए।
- ❖ इस फार्म में उम्मीदवार/प्रस्तावक/समर्थक के हस्ताक्षर उसी भाषा व शैली में किए जाने चाहिए जैसे कि प्रतिनिधि नामांकन हेतु विहित प्रपत्र में किये गये हैं। जिन जिलों में प्रतिनिधि समितियों की संख्या प्रस्ताव एवं समर्थन समितियों के अनुपातिक उपलब्ध नहीं है वहाँ यह शर्त स्वतः प्रभावी नहीं होगा।
- ❖ चुनाव अधिकारी के कार्यालय में प्रदर्शित की गई सूची में से मतदाता सूची संख्या ली जा सकती है।

बिस्कोमान

(बिहार एवं झारखण्ड)

शपथ-पत्र जो नामांकन पत्र के साथ दिया जायेगा)

(शपथ-पत्र)

मैं, पिता-.....,
उम्र-.....वर्ष, ग्राम+मो०-....., पोस्ट-.....
थाना, जिला-....., बिहार/झारखण्ड का
निवासी हूँ तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ :-

कि मैं अपना नामांकन पत्र बिस्कोमान (बिहार-झारखण्ड) के विशेष आम-सभा/सामान्य
निकाय के प्रतिनिधि के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा हूँ/रही हूँ।

कि मैं बहुराज्य सहकारी सोसाईटी नियमावली, 2002 (यथा संशोधित) के नियम 19 और
20 एवं बहुराज्य सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 2002 की धारा 43 एवं 46 के उपबन्धों से पूर्णतः
अवगत हूँ।

कि मैं बहुराज्य सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 2002 (यथा संशोधित) की धारा 29 एवं
43 के अन्तर्गत निर्वाचन हेतु योग्य हूँ।

कि मैं बिस्कोमान की उपविधियों के अधीन प्रतिनिधि के निर्वाचन हेतु निरर्हित नहीं हूँ।

कि मैं किसी भी सहकारी समिति का डिफॉल्टर अथवा किस्त खिलाफ नहीं हूँ।

कि मैं भविष्य में ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा/करूँगी, जिससे संस्था की छवि धूमिल
हो अथवा मेरे या मेरे समिति के कारण संस्था को आर्थिक नुकसान उठाना पड़े।

कि मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य हैं।

कि यदि किसी भी स्तर पर बहुराज्य सहकारी सोसाईटी अधिनियम एवं नियमावली 2002
(यथा संशोधित) अथवा बिस्कोमान की उपविधि के प्रावधानों के अन्तर्गत अयोग्यता पायी जाती
है, तो निर्वाचन रद्द किया जा सकेगा।

स्थान:-

दिनांक:-

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

सेवा में,
बिस्कोमान के जिला मतदान पदाधिकारी
-सह- निर्वाचन प्रभारी

.....

विषय:- नामांकन पत्र वापस लेने के सम्बन्ध में।

महाशय,

अनुरोध के साथ कहना है कि मैं श्री/श्रीमती
सुपुत्र/पत्नी प्रतिनिधि
..... से वर्ग का प्रतिनिधि हूँ।
मेरा नाम जिला के बिस्कोमान से सम्बद्ध अंशधारी सहकारी समितियों के /प्रतिनिधियों की
सूची क्रमांक - पर दर्ज है। मेरे द्वारा प्रतिनिधि के लिए निर्वाचन हेतु
नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। पूर्ण विचारोपरान्त तथा बिना किसी दवाब के पूरे
होशो-हवास में स्वेच्छा से अपना नामांकन पत्र वापस लेता/लेती हूँ, जिसे स्वीकृत करने
की कृपा की जाय।

प्रतिनिधि का पूर्ण हस्ताक्षर

अनुलग्नक-07

बिस्कोमान
(बिहार-झारखंड)

क्रमांक :-

जिला स्तरीय प्रतिनिधि का मत-पत्र मतदान हेतु।
जिला का नाम :-
वर्ग-A (जो लागु नहीं हो काट दें)

क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	समिति का नाम जहां से प्रतिनिधि है।	मतदान हेतु (X) का चिन्ह बनावें
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

नोट:- (i) डेलिगेट्स (मतेदाता) उम्मीदवार के पक्ष में मतदान हेतु उनके नाम के समक्ष एक्स (X) का चिन्ह अपने कलम (पेन) से अंकित करें।

(ii) इसे चार बराबर भाग में मोड़कर मत-पेटी में डाल दें।

अनुसूचना-07

बिस्कोमान
(बिहार-झारखंड)

क्रमांक :-

जिला स्तरीय प्रतिनिधि का मत-पत्र मतदान हेतु।
जिला का नाम :-
वर्ग-B (जो लागु नहीं हो काट दें)

क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	समिति का नाम जहां से प्रतिनिधि है।	मतदान हेतु (X) का चिन्ह बनावें
1			
2			
3			
4			
5			

नोट:- (i) डेलिगेट्स (मतदाता) उम्मीदवार के पक्ष में मतदान हेतु उनके नाम के समक्ष एक्स (X) का चिन्ह अपने कलम (पेन) से अंकित करें।

(ii) इसे चार बराबर भाग में मोड़कर मत-पेटी में डाल दें।

बिस्कोमान

(बिहार एवं झारखण्ड)

कार्यालय

जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी / निर्वाचन प्रभारी

फोटो

जिला स्तरीय डेलीगेट्स(प्रतिनिधि) का निर्वाचन प्रमाण-पत्र
(बिहाराज्य सहकारिता अधिनियम-2002, की धारा-38(i) एवं बिस्कोमान उपविधि-20)

श्रीमती / श्री सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी / पति / श्रीमती / श्री

..... जिनके निर्वाचन के जिला का नाम एवं राज्य है,

को श्रेणी से बिस्कोमान की उपविधि 20 के तहत बिस्कोमान (बिहार एवं झारखण्ड) की जिला स्तरीय डेलीगेट्स (प्रतिनिधि) के रूप में विधिवत निर्वाचित घोषित किये गये हैं। प्रमाण स्वरूप निर्वाचन प्रमाण-पत्र निर्गत की जा रही है। समिति का पूरा नाम एवं पता जिसका प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करता है

जिला राज्य पिन कोड मोबाईल नं.

स्थान -

दिनांक -

जिला सहकारिता पदाधिकारी

-सह-

निर्वाचन पदाधिकारी /

निर्वाचन प्रभारी पदाधिकारी

अनुलग्नक-09

कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

पत्रांक.....7905...../पटना, दिनांक.....16/10/2024.....

7/नि०(विधि-04)शीर्ष स०स०-1/2024

प्रेषक,

ललन कुमार शर्मा,
संयुक्त निबंधक (पणन),
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी

विषय :- बिस्कोमान के जिला स्तरीय प्रतिनिधि के निर्वाचन हेतु संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचन प्रभारी नियुक्त किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :- सहकारी निर्वाचन प्राधिकार, सहकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक CEA/12011/25/202 दिनांक 20.09.2024 एवं प्रशासक, बिस्कोमान, (बिहार-झारखण्ड) का पत्रांक बैठक-225, एम-738 दिनांक 01.10.2024


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि बिस्कोमान के निदेशक मंडल का निर्वाचन जिला पदाधिकारी, पटना-सह-निर्वाचन पदाधिकारी, बिस्कोमान, पटना द्वारा सम्पन्न कराया जा रहा है। सहकारी निर्वाचन प्राधिकार, सहकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रसंगाधीन पत्र द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी के बिस्कोमान के जिला स्तरीय प्रतिनिधि के निर्वाचन संचालन हेतु नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त के आलोक में आपको अपने जिले में बिस्कोमान के जिला स्तरीय प्रतिनिधि के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचन प्रभारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। आप बिस्कोमान के जिला स्तरीय प्रतिनिधि के निर्वाचन संचालन हेतु जिला पदाधिकारी, पटना के नियंत्रण एवं सामान्य अधीक्षण के अन्तर्गत कार्य करेंगे।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

विश्वनाथसभाजन




(ललन कुमार शर्मा)

संयुक्त निबंधक (पणन),

सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-.....7905.....पटना/दिनांक-.....16/10/2024.....

- प्रतिलिपि:-
1. प्रशासक, बिस्कोमान (बिहार-झारखण्ड) को उनके पत्रांक बैठक-225/एम-738 दिनांक 01.10.24 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।
 2. जिला पदाधिकारी, पटना-सह-निर्वाचन पदाधिकारी, बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



संयुक्त निबंधक (पणन),

सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक.....2221 (6)...../राँची
06/सहोबिस्कोमान बैठक- 56/2021

दिनांक...22.11.2024

अनुलग्नक - 10

प्रेषक,

सूरज कुमार (भा0प्र0से0)
निबंधक,
सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी,
झारखण्ड।

Smaj

सहायक निबंधक,
सहयोग समितियाँ, खूँटी अंचल, खूँटी/हजारीबाग।

विषय -

बिस्कोमान के जिला स्तरीय प्रतिनिधि के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त करने के संबंध में।

प्रसंग :

सहकारी निर्वाचन प्राधिकार, सहकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक - CEA/12011/25/2024 दिनांक 20.09.2024 एवं संशोधित कार्यक्रम पत्रांक - CEA/12011/25/2024 दिनांक 08.11.2024 तदनुसार प्रबंध निदेशक बिस्कोमान, पटना का पत्रांक बैठक - 225/एम0-983 दिनांक 15.11.2024.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक में बिस्कोमान के जिलास्तरीय प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु दिनांक 10.12.2024 से 13.12.2024 तक के मध्य में कार्यक्रम निर्धारित करते हुए सामान्य निकाय के गठन हेतु जिला स्तर पर योग्य समितियों के प्रतिनिधियों के बीच निर्वाचन संपन्न कराने हेतु संबंधित जिलों के जिला सहकारिता पदाधिकारी/निर्वाचन प्रभारी के रूप में नियुक्त/नामित करने का अनुरोध किया गया है।

बिस्कोमान के प्रासंगिक पत्र में बिस्कोमान की उपविधियाँ के प्रावधान-20 के अनुसार जिला के वर्ग 'A' के प्रतिनिधियों के बीच तीन पर एक तथा अधिकतम सात एवं जिला के वर्ग 'B' से एक प्रतिनिधि का निर्वाचन होने का उल्लेख है।

अतः उपरोक्त के आलोक में बिस्कोमान के प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए निर्धारित कार्यक्रम तदनुसार तिथि, समय एवं स्थान के आलोक में वर्ग 'A' एवं वर्ग 'B' से प्रतिनिधियों का चयन करने हेतु आप सभी को अपने-अपने जिले का निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

अनुलग्नक : यथोक्त।

नोट - सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, खूँटी अंचल, खूँटी एवं सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, हजारीबाग अंचल, हजारीबाग को क्रमशः खूँटी जिले एवं रामगढ़ जिले के प्रतिनिधियों के चयन हेतु निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

विश्वासभाजन

निबंधक

सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची।

दिनांक...22.11.2024

ज्ञापक2221 (6)...../राँची
06/सहोबिस्कोमान बैठक- 56/2021

प्रतिलिपि :

श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव (भा0प्र0से0, से0नि0), प्रशासक, बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर समर्पित।

Smaj

निबंधक

सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 2221 (6) / राँची
06/सह0बिस्कोमान बैठक- 56/2021

दिनांक 22.11.2024

प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहयोग क्रय-विक्रय संघ सीमित (बिस्कोमान) को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि सहकारिता जिला के अनुसार खूँटी जिला, राँची जिले के अंतर्गत तथा रामगढ़ जिला, हजारीबाग जिले के अंतर्गत संसूचित है। उक्त दोनो जिलों में जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय नहीं है।

निबंधक

सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 2221 (6) / राँची
06/सह0बिस्कोमान बैठक- 56/2021

दिनांक 22.11.2024

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पटना-सह-निर्वाचित पदाधिकारी, बिस्कोमान (बिहार-झारखण्ड) को सूचनार्थ समर्पित।

निबंधक

सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 2221 (6) / राँची
06/सह0बिस्कोमान बैठक- 56/2021

दिनांक 22.11.2024

प्रतिलिपि : श्री वेद प्रकाश द्विवेदी, सहायक निबंधक, कार्यालय-सहकारी निर्वाचन प्राधिकार, 9th Floor Tower, E-World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi- 110029 को सूचनार्थ समर्पित।

निबंधक

सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 2221 (6) / राँची
06/सह0बिस्कोमान बैठक- 56/2021

दिनांक 22.11.2024

प्रतिलिपि : सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार को सादर सूचनार्थ समर्पित।

निबंधक

सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची।

बिहार राज्य सहयोग क्रय-विक्रय संघ सीमित
(बिस्कोमान)

बिहार एवं झारखण्ड
 छठा तल, बिस्कोमान टॉवर, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना-800001

Ref. No. 2024/225/एम-303

Date:- 30/10/2024

प्रेषक,

प्रबंध निदेशक,
 बिस्कोमान(बिहार एवं झारखण्ड)
 पटना।

निबंधित डाक

सेवा में,

सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी,
 बिहार राज्य।

विषय:-आगामी पैक्स निर्वाचन के परिपेक्ष्य में बिस्कोमान से सम्बद्ध पैक्स के प्रतिनिधियों के नया नामांकन एवं प्रस्ताव प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

जिला पदाधिकारी, पटना –सह– निर्वाची पदाधिकारी, बिस्कोमान की अध्यक्षता में दिनांक-29.10.2024 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार राज्य के 35 जिलों के बिस्कोमान से सम्बद्ध पैक्स जिनसे जिलास्तरीय निर्वाचन हेतु प्रतिनिधि की सूची प्राप्त है, की सूची संलग्न है। उल्लेखनीय है कि निर्णयानुसार आगामी पैक्स निर्वाचन के आलोक में इन पैक्सों से जहाँ निर्वाचन प्रस्तावित है, के प्रतिनिधियों का नया नामांकन एवं प्रस्ताव प्राप्त किया जाना है, चाहे प्राधिकृत प्रतिनिधि पुनः निर्वाचित हो जाते हैं, अथवा कोई अन्य उम्मीदवार निर्वाचित होते हैं।


अतः संलग्न सूची के वैसे पैक्स जहाँ माह नवम्बर-दिसम्बर, 2024 में निर्वाचन प्रस्तावित है, से जिलास्तर पर डेलिगेट निर्वाचन हेतु पैक्स के अधिकृत प्रतिनिधि की सूची विहित प्रपत्र(संलग्न) में दिनांक 08.12.2024 तक अपने कार्यालय में प्राप्त करते हुए एक प्रति बिस्कोमान कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए। उक्त तिथि तक प्राप्त नया नामांकन एवं प्रस्ताव के आधार पर ही आपके स्तर पर जिलास्तरीय डेलिगेट निर्वाचन हेतु वे योग्य मतदाता/उम्मीदवार होंगे।

यहाँ स्पष्ट हो कि बिस्कोमान से सम्बद्ध पैक्सों के प्रतिनिधियों की संलग्न सूची में अंकित पैक्स के प्रतिनिधियों के नाम में ही आवश्यकतानुसार बदलाव होगा। किसी भी स्थिति में वैसे पैक्स से प्रतिनिधि का नाम प्राप्त नहीं किया जाएगा जिनका नाम संलग्न सूची में अंकित नहीं है।

अनुलग्नक:-

1. बिस्कोमान से सम्बद्ध पैक्सों की सूची।
2. अधिकृत प्रतिनिधि के नामांकन हेतु विहित प्रपत्र।

विश्वासभाजन,


 30.10.24
 प्रबंध निदेशक।

बिहार राज्य सहयोग क्रय-विक्रय संघ सीमित (बिस्कोमान)

बिहार एवं झारखण्ड

छठा तल, बिस्कोमान टॉवर, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना-800001

Ref. No. पैठक/२२५/रजम-९९८

Date:- 19/11/2024

प्रेषक,

प्रबंध निदेशक,
बिस्कोमान, (बिहार-झारखण्ड), पटना।

सेवा में,

अध्यक्ष,
.....
.....
.....

विषय:-समिति से प्रतिनिधि का नाम भेजने के सम्बन्ध में।

महाशय,

बिस्कोमान के जिलास्तरीय प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु आपकी समिति से प्रतिनिधि का नाम प्राप्त हुआ है। राज्य निर्वाचन प्राधिकार बिहार द्वारा सभी पैक्सों में दिनांक 25.11.2024 से दिनांक 03.12.2024 के बीच में निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है।

जिला पदाधिकारी, पटना -सह- निर्वाची पदाधिकारी, बिस्कोमान(बिहार एवं झारखण्ड) की अध्यक्षता में दिनांक 30.10.2024 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयों एवं बहुराज्य सहकारी समिति नियमावली 2002 के नियम 19 H(7) के प्रावधानों के आलोक में पैक्स के नवगठित निदेशक मंडल द्वारा बिस्कोमान के सामान्य निकाय/निर्वाचन में भाग लेने हेतु नवीन प्रस्ताव की आवश्यकता है। नवनिर्वाचन के अनुरूप यदि प्रतिनिधि का नाम नहीं भी परिवर्तित है तो भी नवगठित निदेशक मंडल द्वारा नया प्रस्ताव आवश्यक होगा।

कृपया निर्वाचन समाप्ति के दो दिनों के अंदर विहित प्रपत्र में नवगठित समिति का प्रस्ताव जो कि जिला सहकारिता पदाधिकारी/सहायक निबंधक/प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक/प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के द्वारा अभिप्रमाणित हो, की एक प्रति तथा निर्वाचन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति बिस्कोमान मुख्यालय एवं दूसरी प्रति संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। प्रपत्र की प्रतिलिपि पुनः संलग्न की जा रही है। दिनांक 06.12.2024 के बाद प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। ज्ञातव्य हो कि जिलास्तरीय निर्वाचन कार्यक्रम निम्न रूप से निर्धारित है।

सहकारी निर्वाचन प्राधिकार के पत्रांक CEA-12011/25/2024 दिनांक 08.11.2024 के

द्वारा संशोधित निर्वाचन कार्यक्रम के आलोक में

जिला स्तरीय प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

क्र.स.	कार्यक्रम का विषय	तिथि	समय	स्थान
1.	प्रतिनिधि सूची का प्रदर्शन	10.12.2024	पूर्वाह्न 11:00 बजे	जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय
2.	प्रतिनिधि सूची पर आपत्ति	10.12.2024	12:00 बजे अपराह्न से 02:00 बजे अपराह्न तक	"

3.	प्रतिनिधि सूची पर प्राप्त आपत्तियों की जाँच एवं वैध प्रतिनिधि सूची का प्रकाशन	11.12.2024	पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक	”
4.	प्रतिनिधियों के द्वारा नामांकन	12.12.2024	पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक	”
5.	नामांकन सूची का प्रदर्शन	12.12.2024	अपराह्न 01:10 बजे तक	”
6.	नामांकन सूची पर आपत्ति	12.12.2024	अपराह्न 01:30 बजे तक	”
7.	आपत्तियों की जाँच एवं वैध नामांकन सूची का प्रदर्शन	12.12.2024	अपराह्न 01:35 बजे से 02:00 बजे अपराह्न तक	”
8.	नामांकन वापसी एवं वापसी के पश्चात अंतिम सूची का प्रकाशन	12.12.2024	अपराह्न 02:30 बजे से 3:00 बजे अपराह्न तक	”
9.	निर्वाचन(यदि आवश्यक हो)	13.12.2024	पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक	”
10.	मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा तथा प्रमाण पत्र निर्गत करना	13.12.2024	अपराह्न 02:30 बजे से समाप्त होने तक	”

ज्ञातव्य हो कि बिस्कोमान से सम्बद्ध वर्ग 'बी' की सहकारी समितियाँ जिनसे पूर्व में प्रतिनिधि का नाम प्राप्त हुआ था उन्हीं समितियों से प्राप्त नया प्रस्ताव के अनुसार प्रतिनिधियों के बीच से प्रत्येक जिला से उपविधि-20(iii) के अनुसार एक प्रतिनिधि का निर्वाचन होगा।

उल्लेखनीय है कि सहकारी निर्वाचन प्राधिकार के पत्रांक CEA-12011/25/2024 दिनांक 20.09.2024 एवं तदसंबंधि निबंधक, सहयोग समितियाँ के पत्रांक 7905 दिनांक 16.10.2024 के आलोक में जिला स्तरीय निर्वाचन हेतु संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचन प्रभारी नियुक्त किया गया है।

निर्वाचन में भाग लेने हेतु नामांकन प्रपत्र –सह– घोषणा-पत्र, शपथ पत्र तथा मतदाता सूची सम्बन्धित जिला सहकारिता पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। प्रपत्र बिस्कोमान के विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

विश्वासभाजन


प्रबंध निदेशक।

as may appear to the board to be the heir or legal representative of the deceased member, or pay to such nominee, heir or legal representative, as the case may be, a sum representing the value of such member's share or interest as ascertained in accordance with the rules:

Provided that no such transfer or payment shall be made except with the consent of the nominee, heir or legal representative, as the case may be.

(2) A multi-State co-operative society shall, unless within six months of the death of the member prevented by an order of a competent Court, pay to such nominee, heir or legal representative, as the case may be, all other moneys due to the deceased member from the society.

(3) All transfers and payments made by a multi-State co-operative society in accordance with the provisions of this section shall be valid and effectual against any demand made upon the society by any other person.

37. Liabilities of past member and estate of deceased member.—

(1) Subject to the provisions of sub-section (2), the liability of a past member or of the estate of a deceased member of a multi-State co-operative society for the debts of the society as they existed, —

(a) in the case of a past member, on the date on which he ceased to be a member;

(b) in the case of a deceased member, on the date of his death, shall continue for a period of two years from such date.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where a multi-State co-operative society is ordered to be wound up under section 86, the liability of a past member who ceased to be a member or of the estate of a deceased member who died within two years immediately preceding the date of the order of winding up, shall continue until the entire liquidation proceedings are completed, but such liability shall extend only to the debts of the society as they existed on the date of cessation of membership or death, as the case may be.

These clauses deal with the restrictions on transfer of shares or interests; redemption of shares on face value of such shares and the manner in which the shares may be redeemable; transfer of share or interest on the death of a member to the person nominated in accordance with the bye-laws made in this behalf or if no person is nominated, to the heir or legal representative of the deceased member and the liability of a past member and the estate of a deceased member for the debts of the society. (Notes on Clauses).

CHAPTER V

DIRECTION AND MANAGEMENT OF MULTI-STATE
CO-OPERATIVE SOCIETIES

38. **Constitution, powers and functions of general body.—**(1) The general body of a multi-State co-operative society shall consist of all the members of such society:

Provided that where the bye-laws of a multi-State co-operative society provide for the constitution of a smaller body consisting of delegates of members of the society elected or selected in accordance with such bye-laws, that smaller body shall exercise such powers of the general body as may be prescribed or as may be specified in the bye-laws of the society.

(2) Subject to the provisions of this Act, the rules and the bye-laws, the ultimate authority of a multi-State co-operative society shall vest in the general body of its members:

Provided that nothing contained in this sub-section shall affect the exercise by the board or any officer of a multi-State co-operative society of any power conferred on such board or such officer by this Act or the rules or the bye-laws.

(3) Where in any meeting of the general body or the board of a multi-State co-operative society, a co-operative society or another multi-State co-operative society is to be represented, such co-operative society or other multi-State co-operative society shall be represented in such meeting only through the Chairperson or the president or the Chief Executive or a member of the board of such co-operative society or other multi-State co-operative society, as the case may be, if such member is so authorised by the board and where there is no board of such co-operative society or other multi-State co-operative society, for whatever reasons, through the administrator, by whatever name called, of such co-operative society or other multi-State co-operative society:

Provided that where the bye-laws of a multi-State co-operative society provide for representation of other institutions in any meeting of general body or the board of such multi-State co-operative society, such institutions shall be represented through its nominee.

This clause provides for the general body of a multi-State co-operative society and for its constitution, powers and functions. It also provides that a co-operative society which is a member of a multi-State co-operative society shall be represented in the latter only through its Chairperson or the Chief Executive or a member of the board, if such member is so authorised by the board, and, where there is no board of such co-operative society, through the administrator, so that its participation in the general body of a multi-State co-operative society is effective. Where the bye-laws of a multi-State co-operative society provide for representation of other institutions in any meeting of general body or the board of such multi-State co-operative society, such institutions shall be represented through its nominee. (*Notes on Clauses*).

39. Annual general meeting of general body.—(1) The board of every multi-State co-operative society shall, within such period as may be prescribed, and not later than six months after the close of the corresponding year, call the annual general meeting in the manner prescribed for the purpose of—

- (a) consideration of the audited statement of accounts;
- (b) consideration of the audit report and annual report;
- (c) consideration of audit compliance report;
- (d) disposal of net profits;
- (e) review of operational deficit, if any;
- (f) creation of specific reserves and other funds;
- (g) approval of the annual budget;
- (h) review of actual utilisation of reserve and other funds;
- (i) approval of the long-term perspective plan and the annual operational plan;

✓

17. Issue of Duplicate Shares:

- (i) If any certificate be wornout, defaced, destroyed or lost, a new share certificate may be issued in lieu thereof, on payment of a fee of Rs.5/- per share. It shall, however, be necessary to produce evidence to the satisfaction of the Board of Directors that the share certificates were wornout, defaced, destroyed or lost, or in absence of such evidence, on such indemnity as the Board of Directors may deem sufficient.
- (ii) Manner of allotment, transfer, redemption and / or repatriation shall be at face value and as per the provisions of the Act.

18. Capital and Funds:

BISCOMAUN may receive funds from any or all the following sources:

- (i) Admission fee;
- (ii) Share Capital;
- (iii) Loans and Deposits;
- (iv) Grants-in-Aids;
- (v) Donations;
- (vi) Contributions;
- (vii) Subscriptions;
- (viii) Profit/income over expenditure
- (ix) Debentures, Bonds and Commercial papers

19. Maximum Borrowing Limit:

BISCOMAUN shall be eligible to receive deposits and loans from members and others up to such limit and in the manner as permitted and prescribed in the Act and the Rules.

20. Representation on the General Body:

- (i) Delegates to the General meeting of the BISCOMAUN shall be elected district-wise from among the individual share holders from the district and the representatives of the share holder Societies in the district except one holding 'C' class shares.

बिस्कोमान (बिहार एवं झारखण्ड) के जिला स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का समेकित परिणाम प्रपत्र

जिला का नाम :-

निर्वाचन की तिथि :-

वर्ग-A

क्रमांक	निर्वाचित प्रतिनिधियों का नाम	प्रतिनिधि का पिता का नाम	समिति का नाम जहां से प्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं।

वर्ग-B

क्रमांक	निर्वाचित प्रतिनिधियों का नाम	प्रतिनिधि का पिता का नाम	समिति का नाम जहां से प्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं।
1			

जिला सहकारिता पदाधिकारी

-सह-

निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचन प्रभारी

100 शेयर से अधिक धारित समितियों की सूची जिनका कार्यक्षेत्र जिला/प्रमंडल/राज्य है।

क्रम संख्या	समिति का नाम	कार्यक्षेत्र	शेयर की राशि	टिप्पणी
1.	श्री शंकर स्वावलंबी सहकारी शीत भंडार लि०, पटना (बिहार)	जिलास्तर	116000.00	यह समिति सीधे निर्वाचन योग्य है।
2.	चैनवा सहयोग विकास एवं ईख क्रय-विक्रय संघ लि०, छपरा (बिहार)	जिलास्तर	105000.00	यह समिति सीधे निर्वाचन योग्य है।
3.	आदर्श प्रतापपुर कृषक सेवा स्वा०सहयोगी समिति लि० जिला-शिवान, (बिहार)	जिलास्तर	101000.00	यह समिति सीधे निर्वाचन योग्य है।
4.	कृषि विकास सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति लि०, जिला-पटना (बिहार)	जिलास्तर	100000.00	यह समिति सीधे निर्वाचन योग्य है।
5.	बीर कुंवर सिंह, जन विकास कृषक स्वा. स.स.लि., जिला-बक्सर, (बिहार)	जिलास्तर	101000.00	यह समिति सीधे निर्वाचन योग्य है।
6.	माँ कालरात्रि फल-सब्जी उत्पादक स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड जिला-सारण, (बिहार)	जिलास्तर	100000.00	यह समिति सीधे निर्वाचन योग्य है।
7.	सासाराम फल सब्जी उत्पादक स्वा० सं० लि०, जिला-रोहतास (बिहार)	जिलास्तर	100000.00	यह समिति सीधे निर्वाचन योग्य है।
8.	प्रगतिशिल कृषक सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति लि०, जिला-रोहतास (बिहार)	जिलास्तर	100000.00	यह समिति सीधे निर्वाचन योग्य है।
9.	रोहतास कृषि विपणन एवं प्रसंस्करण स्वा० सं० लि० जिला-रोहतास (बिहार)	जिलास्तर	100000.00	यह समिति सीधे निर्वाचन योग्य है।
10.	जे.पी. कृषक सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, जिला-सारण, (बिहार)	जिलास्तर	100000.00	यह समिति सीधे निर्वाचन योग्य है।
11.	माँ चन्दा महिला कृषक सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति लि० जिला-सारण, (बिहार)	जिलास्तर	100000.00	यह समिति सीधे निर्वाचन योग्य है।
12.	आनन्द कृषक सेवा स्वा०सं० लि०, जिला- लखीसराय, (बिहार)	जिलास्तर	101000.00	यह समिति सीधे निर्वाचन योग्य है।
13.	माँ मैहर शीत भंडार स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, जिला-भोजपुर (बिहार)	जिलास्तर	101000.00	यह समिति सीधे निर्वाचन योग्य है।
14.	जय माँ थावे भवानी कृषक सेवा स्वा०सहकारी समिति लि०, जिला-गोपालगंज (बिहार)	जिलास्तर	100000.00	यह समिति सीधे निर्वाचन योग्य है।
15.	सारण जिला कृषक सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति, जिला-सारण (बिहार)	जिलास्तर	101000.00	यह समिति सीधे निर्वाचन योग्य है।
16.	माँ शान्ति कृषक सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति लि० गुरुआ, जिला-गया (बिहार)	जिलास्तर	100000.00	यह समिति सीधे निर्वाचन योग्य है।
17.	सारण फल-सब्जी कृषक स्वावलंबी सहकारी समिति लि० जिला-सारण, (बिहार)	प्रमंडलस्तर	100000.00	यह समिति सीधे निर्वाचन योग्य है।

Subodh Kumar

Deep

Ravi Prasad
10.10.24

MANAGING DIRECTOR
BIMAR STATE CO-OPERATIVE
MARKETING UNION LTD.
PATNA

Subodh